



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)
पीठारीन अधिकारी-श्री गुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या-51/2023
जी०सी०एम०एस० संख्या- 2023/121
दायर दिनांक- 12.7.2023
निर्णय दिनांक- 12.07-2024
उनवानी-

1. श्रीमती कमला देवी पत्नि भवानीशंकर जाति सैन नि० खिड़की दरवाजे के पास रूपनगढ़ तह० रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

—अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान-भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-1. श्री अरविन्द कुमार दाधीच अधि० प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ की स्थाई निवासी है। प्रार्थिया की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम त्योद पटवार हल्का त्योद भू०अ०नि० क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके खाता सं० 22 के ख०न० 540 रकबा 2.2166 है० भूमि है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थिया के नाम एकल कब्जे-काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थिया मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा प्रार्थिया की उक्त भूमि पर प्रार्थिया का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थिया व पड़ोसी खातेदारान् के मध्य नीव, सीव, मेड़ को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थिया को अपने खेत में भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई, जोत करने तथा नीव, सीव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थिया की ओर से निवेदन है कि उक्त सम्पूर्ण एकल खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावें।



उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थी के पड़ौसी कृषक खातेदार को पक्षकार बनाया जाना यथोचित बताया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिया व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम त्योद के खाता सं० 22 के ख०न० 540 रकबा 2.2166 है० भूमि की पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में सर्वप्रथम सीमाज्ञान करवाया जावे तदनुसार उसके पश्चात सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर) अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

